

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE

Notification

No. 12 /2017 - SERVICE TAX (N.T.)

New Delhi, dated the 31/3/2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by section 96-I read with sub-section (1) and (3) of section 96 C and sub-section (7) of section 96D of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Service Tax (Advance Rulings), Rules, 2003, namely :-

1. (1) These rules may be called the Service Tax ( Advance Rulings) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2017.

2. In the Service Tax (Advance Rulings) Rules, 2003, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

'(b) "Authority" means the Authority for Advance Rulings as defined in clause (e) of section 28E of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);'.

(F.No.275/38/2016-CX.8A



( Y. S. Karan )

Under Secretary to the Govt. of India

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide Notification No. 55/2002-Cus(N.T.) dated the 23<sup>rd</sup> August, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 593(E), dated the 23<sup>rd</sup> August, 2002.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 12/2017 - सेवा कर (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31/3, 2017

सा.का.नि. (अ). - वित्त अधिनियम, 1994 (32 का 1994) की धारा 96 ग की उपधारा (1) और (3) तथा धारा 96 घ की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 96-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली, 1994 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) ये नियम, सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियमावली, 2017 कहे जा सकेंगे।

(2) ये अप्रैल, 2017 की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली 2003 में, नियम 2 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

‘(ख) “प्राधिकरण” का अर्थ सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड. के खंड (ड.) में अग्रिम विनिर्णय के लिए यथा परिभाषित प्राधिकरण से है;’।

(फा.सं.275/38/2016-सीएक्स.8ए



( या. स. ०५२ )

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान नियमावली भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 55/2002-सीशु (गै.टै.) दिनांक 23 अगस्त, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 23 अगस्त, 2002 के सा.का.नि. 593(ड.) के तहत प्रकाशित हुई थी।